न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्या:– 17/2020

तारीख रजू 16.09.2020

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. रामावतार बंसल पुत्र रामजीलाल बंसल जाति महाजन (एबीओ व मौके पर विक्रेता) फर्म–रामजीलाल कान्तीलाल ग्राम पोस्ट कुण्डेरा तहसील सवाई माधोपुर।
2. रामजीलाल बंसल पुत्र रामप्रताप बंसल जाति महाजन (एबीओ व मालिक) फर्म–रामजीलाल कान्तीलाल ग्राम पोस्ट कुण्डेरा तहसील सवाई माधोपुर।

...........अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णय:–

दिनांक......13/8/21.........

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ,2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 4. 03.2020 को समय 12.45 पी.एम.पर फर्म–रामजीलाल कान्तीलाल कुण्डेरा पर पहूँचा वहॉ पर उपस्थित मिला को आवेदक द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, दुकान में खाद्य पदार्थ घी खुला लगभग 2.5 किलो ग्राम एक लोहे के खुले टीन में आमजन को विक्रय करने हेतु रखा हुआ था में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए, की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:06:31 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य घी खुला हुआ 1 किलो ग्राम वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 430 रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये। यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ मावा बर्फी 2 किलो ग्राम के चार पैकेट को 4 प्लास्टिक के डिब्बो में बराबर–बराबर भरकर अच्छी तरह बन्द कर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच–1800 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सील बंद नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता कमल जैन ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक के साथ खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/610 दिनांक 01.06.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/583/एक्ट/2020/679 दिनांक 08.04.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी खुला हुआ सबस्टेण्डर्ड पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ घी खुला हुआ का विक्रय एवं निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zz)(A)(i)(a) खाद्य पदार्थ घी खुला हुआ का विक्रय एव निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा धारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:06:31 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य घी खुला हुआ 1 किलो ग्राम वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 430 रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये। यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ मावा बर्फी 2 किलो ग्राम के चार पैकेट को 4 प्लास्टिक के डिब्बो में बराबर–बराबर भरकर अच्छी तरह बंन्द कर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच–1800 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सील बंद नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता कमल जैन ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक के साथ खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/610 दिनांक 01.06.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/583/एक्ट/2020/679 दिनांक 08.04.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी खुला हुआ सबस्टेण्डर्ड पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ घी खुला हुआ का विक्रय एवं निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a) खाद्य पदार्थ घी खुला हुआ का विक्रय एव निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा धारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:06:31 IST
Reason: SelfAttested

खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 58 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 10,000/— रूपये (अक्षरे: दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर—अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/8/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:06:31 IST
Reason: SelfAttested